



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 26292 वर्ष 2026

रमेश केशरी

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विपक्षी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : आदित्य कुमार राय, सुरेश कुमार मौर्य

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 70

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादी के विद्वान एजीए की दलीलें सुनीं और मामले के रिकॉर्ड का अध्ययन किया।

यह आवेदन संबंधित न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई के दौरान, धारा 303(2), 317(2) बीएनएस के तहत, पुलिस स्टेशन- कोटवाली सिटी, जिला- मिर्जापुर, में केस क्राइम नंबर 20/2026 में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।

आवेदक के अधिवक्ता ने दलील दी है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि शिकायतकर्ता की मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच के दौरान सह-आरोपी के बयान से आवेदक का नाम सामने आया। यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक का अपने ऊपर लगे आरोपों से कोई संबंध नहीं है और उसने अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए किसी भी आरोप के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक मात्र एक कबाड़ व्यापारी है। आवेदक के पास से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है। वर्तमान मामले में आवेदक की गिरफ्तारी के समय, वह एक साथ कई अन्य मामलों में भी फंसा हुआ था, जिनका विवरण इस जमानत याचिका के अनुच्छेद 19 में दिया गया है। आगे यह निवेदन किया जाता है कि सह-आरोपी महेश कुमार बिंद और पिंटू को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22.7.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 23090/2026 में पारित आदेश के माध्यम से पहले ही जमानत दी जा चुकी है। आवेदक 07.04.2026 से जेल में है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है।

जमानत याचिका का विद्वान ए.जी.ए. ने पुरजोर विरोध किया है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, रिकॉर्ड, साक्ष्यों का अध्ययन करने और साथ ही आरोपों की प्रकृति और पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार करते हुए,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आवेदक मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

इसलिए, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, तत्काल जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

उपरोक्त मामले में आवेदक- **रमेश केशरी** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका भरने और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i). आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii). आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा/ उसे डराएगा नहीं।
- (iii). आवेदक निर्धारित तिथि पर निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।
- (iv). आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा जो उस अपराध के समान हो जिसका उस पर आरोप लगाया गया है, या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।
- (v). आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

इसके अलावा यह भी निर्देश दिया जाता है कि जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण को स्वीकार करने से पहले संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाए।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, निचली अदालत जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटारे से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले की खूबियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

12 अगस्त, 2026

केके पटेल

(न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।